डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-12/13, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

08/15 अक्टूबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

बस्तर में परंपरा, प्रगति और विश्वास का संगम
विकास की नई राह पर आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री साय ने किया विकास और आत्मनिर्भरता का शंखनाद

बस्तर दशहरा महोत्सव, इस वर्ष परंपरा और प्रगति का अद्भुत प्रतीक बना। 75 दिनों तक चलने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व तब ऐतिहासिक बन गया जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ मां दंतेश्वरी की पावन धरती से विकास, शांति और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि "बस्तर दशहरा न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, समरसता और जनसंवाद की जीवंत परंपरा है।

नक्सलवाद के अंत का दृढ़ संकल्प

- केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि "31 मार्च 2026 तक बस्तर को लाल आतंक से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि वर्षों तक यह भ्रांति फैलाई गई कि नक्सलवाद विकास की लड़ाई है, जबकि सच्चाई यह है कि नक्सलवाद ही विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है।

महिलाओं की सशक्त आवाज

- बस्तर दशहरा के मंच से महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए श्री अमित शाह ने 65 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 606.94 करोड़ रुपये अंतरित किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना हमारी बहनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक है। मोदी जी की गारंटी के रूप में मिली यह सौगात समाज के हर वर्ग में नई चेतना जगा रही है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना

- बस्तर से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "अब बस्तर के सुदूर गांवों तक बसें पहुँचेंगी, जिससे ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से सीधे जुड़ सकेंगे।" पहले चरण में बस्तर और सरगुजा के 250 गांवों को बस सेवा से जोड़ने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। यह पहल ग्रामीण जीवन को सुगम बनाने की दिशा में सार्थक पहल है।

मुरिया दरबार में संवाद

- मुरिया दरबार में श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री साय ने मांझी-चालकी से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि "बस्तर दशहरा पर्व की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी और जिया डेरा, माड़िया सराय जैसे पारंपरिक स्थलों का विकास किया जाएगा।"

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 4.40 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी।
- प्रदेश में उद्योग, शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाएँ तेजी से विकसित हो रही हैं।
- लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ लागू की जा रही हैं।
- पद्म पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के नायकों- पंडी राम मंडावी, हेमचंद मांझी और अजय मंडावी को बधाई।

नक्सलवाद पर निर्णायक रुख

- पिछले एक माह में 500 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण।
- नक्सलियों से अपील- हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटें।
- जिस गाँव में नक्सलवाद समाप्त होगा, वहाँ छत्तीसगढ़ शासन देगी 1 करोड़ रुपये विकास हेतु।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

कर्मचारियों को राहत, दिव्यांगजनों को सहारा और शिक्षा-प्रशासन में सुधार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। बैठक में शासकीय सेवकों की सुविधा, दिव्यांगजनों के कल्याण, शिक्षा क्षेत्र के सुधार और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी।

शासकीय सेवकों के लिए राहत

- आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय।
- वित्त विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया।
- पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एमओयू प्रारूप को मंजूरी।

दिव्यांगजनों को लाभ

- राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि 24.50 करोड़ एकमुश्त वापस करने का निर्णय।
- निगम के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा।
- इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का निरंतर लाभ मिलेगा।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

- राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी।
- भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट।
- चयन परीक्षा की बजाय मेरिट आधार पर सीधी भर्ती होगी।

जल संरक्षण में रचा इतिहास

रायपुर नगर निगम को मिला राष्ट्रीय सम्मान

जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर नया इतिहास रचा है। जल संचय जनभागीदारी 1.0 (JSJB) के परिणामों में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है। यह उपलब्धि केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि जल प्रबंधन और जनसहभागिता का जीवंत उदाहरण है। प्रदेश में अब तक 4,05,563 कार्य पूर्ण कर जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दे दिया गया है। रायपुर नगर निगम ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यहाँ 33,082 कार्यों के माध्यम से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, बल्कि इसे जन-सहभागिता आधारित शहरी विकास का मॉडल बना दिया गया।

डिजिटल क्रांति

नवा रायपुर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर के अटल नगर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हो गया है। पीपीपी मॉडल पर तैयार यह कार्यालय नागरिकों को तेज, पारदर्शी और आधुनिक पंजीयन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री केवल 12 से 15 मिनट में एयरपोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस जैसी सुविधाओं के बीच हो सकेगी। राज्य सरकार ने अगले एक वर्ष में प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य तय किया है। पहले चरण में 10 कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें नवा रायपुर का कार्यालय पूरी तरह तैयार है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी इसे देशभर में लागू करने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से की सौजन्य भेंट

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने रजत जयंती वर्ष के विशेष अवसर पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को छत्तीसगढ़ आगमन हेतु सादर आमंत्रित किया।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवसः रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में पीपीपी मॉडल पर होंगे सर्वसुविधायुक्त वृद्धाश्रम

बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए राज्य में बनेगा सियान गुड़ी

राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कृषि मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा- "वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और अमूल्य संस्कृति के वाहक हैं। उनकी देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है।"

बुजुर्गों के लिए विशेष पहल

- राज्य सरकार सियान गुड़ी नाम से वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल हेतु एक नई योजना शुरू करेगी।
- रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में पीपीपी मॉडल पर सर्वसुविधायुक्त वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे।
- रायपुर में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के सहायक उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर शुरू किया जाएगा।

योजनाओं का लाभ

- पेंशन योजनाओं से 14 लाख बुजुर्ग लाभान्वित।
- आयुष्मान भारत और शहीद वीर नारायण सिंह योजना के तहत 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
- तीर्थयात्रा योजना और श्री रामलला दर्शन योजना से 50 हजार से अधिक बुजुर्गों को लाभ।
- प्रदेश के 35 वृद्धाश्रमों में 1049 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। 54 हजार से अधिक समस्याओं का समाधान।

पिक ऑफ द वीक

बस्तर पैलेस(जगदलपुर)

बस्तर पैलेस जगदलपुर में सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में से एक है। यह ऐतिहासिक स्मारक आकर्षक कला और वास्तुकला को समेटे हुए है, जिसकी दीवारों और छत पर उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिलती है। अतीत के राजाओं के गौरव की कहानी सुनाने वाले सुव्यवस्थित उद्यानों और बेहतरीन कलाकृतियों और मूर्तियों से युक्त महल, इतिहास-प्रेमियों और पर्यटकों को दूर-दूर से यहां आने के लिए विवश करता है।

जॉब अलर्ट

दिल्ली पुलिस
पदः कॉन्स्टेबल
पद संख्याः 7565
अंतिम तिथिः 21 अक्टूबर
ssc.gov.in

MPPSC
पदः नर्सिंग ऑफिसर
पद संख्याः 12
अंतिम तिथिः 24 अक्टूबर
mppsc.mp.gov.in

WBSSC
पदः नॉन-टीचिंग स्टाफ
पद संख्याः 8477
अंतिम तिथिः 31 अक्टूबर
wbssc.gov.in

बीएसएससी
पदः स्टेनोग्राफर
पद संख्याः 432
अंतिम तिथिः 03 नवंबर
www.bssc.bihar.gov.in

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी
पदः जूनियर इंजीनियर
पद संख्याः 1732
अंतिम तिथिः 05 नवंबर
dda.gov.in

बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पदः स्टेनोग्राफर सहित अन्य
पद संख्याः 23,175
अंतिम तिथिः 25 नवंबर
www.onlinebssc.com

रेलवे
पदः जूनियर इंजीनियर सहित अन्य
पद संख्याः 2570
अंतिम तिथिः 30 नवंबर
rrbapply.gov.in

छत्तीसगढ़ संदर्भ

कोरिया जिला

- **भौगोलिक क्षेत्र: 2001.779 वर्ग किमी**
- **कुल विधानसभा सीट : 3** (भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़ , बैकुंठपुर)
- **तहसील की संख्या : 04** (पटना, बैकुण्ठपुर, सोनहत, पोड़ी बचरा)
- **विकासखण्ड : 02** (बैकुण्ठपुर, सोनहत)
- **जनपद पंचायत : 02** (बैकुण्ठपुर, सोनहत)
- **नगर पंचायतः 01** (पटना)
- **ग्राम पंचायतः 163**

स्त्रोत : https://korea.gov.in/

ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए ऐलान : 21 लाख रुपये प्रोत्साहन
स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत 2 करोड़, कांस्य 1 करोड़

छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक सभा में मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खिलाड़ियों को दी सौगात

रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, वर्ष 2025-26 हेतु ऑडिटर की नियुक्ति, तथा अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा जैसे खेलों की योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।

ओलंपिक प्रतिभागियों को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐलान किया कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूर्व में बंद हुए खेल अलंकरण समारोह को पुनः प्रारंभ किया गया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। ओलंपिक खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

खेल बजट और कॉरपोरेट सहभागिता

सरकार खेलों के बजट में वृद्धि और कॉरपोरेट क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने वर्ष 2036 में भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि खेल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

बस्तर ओलंपिक से मिली नई पहचान

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं संघ के उपाध्यक्ष श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है, जिससे सुदूर वनांचल की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान और अवसर मिला है। खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ में खेलों का स्तर और लोकप्रियता भी बढ़ेगी। इससे युवा प्रतिभाओं को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भर्ती, आवेदन 21 अक्टूबर तक

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अनुवादक (Translator) के 72 नियमित पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। पदों के लिए न्यूनतम योग्यता Post Graduate / Master Degree है। आवेदन करने की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से vya-pamcg.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सभी दस्तावेज, हस्ताक्षर और फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद अंतिम आवेदन फार्म जमा करना होगा। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 है।

केमिस्ट के 12 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 22 अक्टूबर तक

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। व्यापमं द्वारा यह परीक्षा 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार, एक विषय के रूप में केमिस्ट्री के साथ बी.एससी. पास होना आवश्यक है। साथ ही, आवेदक का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में कोर्ट मैनेजर भर्ती, आवेदन 28 अक्टूबर तक

छत्तीसगढ़ में कोर्ट मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तय की है। अभ्यर्थियों के लिए MBA या स्नातक के साथ प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा और संबंधित अनुभव अनिवार्य है। भर्ती तीन चरणों में होगी। पहला चरण 4 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा का होगा, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा केंद्र रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में होंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा और वाइवा लिया जाएगा। अंतिम चरण में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।

इंडियन आर्मी में 194 पदों पर भर्ती, आवेदन 24 अक्टूबर तक

इंडियन आर्मी ने ग्रुप-सी के 194 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं, बारहवीं या आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार पात्र हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है, साथ ही आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। परीक्षा में 150 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन शुल्क निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण में 3,462 करोड़, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 3,462 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर मिला यह आबंटन प्रदेश की जनता के लिए अनमोल उपहार है। यह राशि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी और विकास व लोककल्याणकारी योजनाओं को गति देगी।

भवानी मंदिर स्थल का नामकरण 'कौशल्या धाम' करने की घोषणा

कोरबा प्रवास के दौरान भवानी मंदिर परिसर का नामकरण 'कौशल्या धाम' करने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की। उन्होंने नव-निर्मित मंदिर में माता कौशल्या और बाल रूप में भगवान श्री राम की मूर्ति का नमन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री ने ओपन थिएटर मैदान में आयोजित रामलीला महोत्सव में भी शामिल होकर नगरवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने रामलीला के माध्यम से जीवन मूल्यों और भक्ति संदेश को जन-जन तक पहुँचाने की महत्ता पर प्रकाश डाला।

विजयादशमी पर आत्मसमर्पण की गूंज, 103 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

बीजापुर में 103 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सुरक्षा बलों को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि यह कदम प्रदेश के शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव है। राज्य सरकार की "आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025" और "नियद नेल्ला नार योजना" ने लाल आतंक के भ्रम से भटके लोगों के दिलों में विश्वास और आशा का दीप प्रज्वलित किया है। "पूना मारगेम अभियान" से प्रेरित होकर बीजापुर में कुल 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 49 नक्सली वे भी हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार रुपए तक का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री का संकल्प, 2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ होगा बाल विवाह मुक्त

प्रधानमंत्री बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, जहां सभी 436 पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतें भी बाल विवाह मुक्त घोषित हुईं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने इसे केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प बताया और अन्य जिलों में प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कार्यभार संभाला

श्री विकासशील, भारतीय प्रशासनिक सेवा 94 बैच के आईएएस अधिकारी, ने महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में कार्यकारी निदेशक थे। मध्य प्रदेश कैडर से आईएएस बनने के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ कैडर मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई., एम.ई., और अमेरिका से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री प्राप्त हैं।

वैज्ञानिक और पारदर्शी खनन से विकास की नई कहानी लिख रहा है छत्तीसगढ़

नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य वैज्ञानिक पद्धति, नवाचार और पारदर्शिता से खनन क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। इस अवसर पर आईएसएम धनबाद, कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज निगम के बीच एमओयू हुए। मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल 2.0 और रेत खदान रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। 5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी हुई और 43 खदानों को स्टार अवॉर्ड मिले। मुख्यमंत्री ने कहा- "छत्तीसगढ़ सतत और जिम्मेदार खनन से विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहा है।"

छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर नौसेना के नए पोत, सेना भर्ती रैली का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार, प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों और नौसैनिक पोतों के नामकरण पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि नए नौसैनिक पोतों का नाम छत्तीसगढ़ की नदियों, जैसे इंद्रावती और महानदी, के नाम पर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में देशभक्ति और अनुशासन की भावना है, इसलिए पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विकास की योजना का भी विवरण दिया।

आरंग में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रायपुर जिले के आरंग में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रदेश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। नया विद्यालय न केवल आरंग के विद्यार्थियों के लिए वरदान होगा।

छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल, 12 महीनों में निर्माण पूरा

छत्तीसगढ़ ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल (2.79 किमी) पूरा कर बुनियादी ढाँचे में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। यह टनल रायपुर–विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है और यात्रा समय घटाकर व्यापार एवं उद्योग को गति देगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और एनएचएआई टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह परियोजना पर्यटन, सामाजिक और आर्थिक विकास के नए अवसर खोलेगी ।

राष्ट्रीय

बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में 1 साल की छूट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 7–15 वर्ष के बच्चों के आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। यूआईडीएआई ने बताया कि शुल्क माफी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है और यह एक वर्ष तक लागू रहेगी। इस कदम से लगभग छह करोड़ बच्चों को लाभ होने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, आधार में निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट से बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं तक पहुंच आसान होगी।

चेन्नई: बायोडायवर्सिटी इंडेक्स अपनाने वाला पहला शहर बना

तमिलनाडु में चेन्नई 'सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स' अपनाने वाला पहला शहर बन गया है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की मदद से किए गए आकलन में शहर को 18 सूचकांकों पर 72 में से 38 अंक मिले। सर्वे में कई खामियां सामने आई हैं। शहर में पेड़ों का घनत्व कम है, पानी को जमीन में सोखने और रोकने की क्षमता भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, बाढ़ और कचरा प्रबंधन में भी समस्याएं मिलीं। प्रशासन अब इनके समाधान पर काम करेगा। अगले कुछ महीनों में राज्य के 5 और शहरों में इसे अपनाया जाएगा।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी

ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए मंदिर प्रशासन एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगा। इसमें ताम्रपत्रों पर लिखी दुर्लभ पांडुलिपियाँ, 12वीं सदी की परंपरागत रीति-रिवाज़ों से संबंधित डेटा और मंदिर का पवित्र पंचांग 'मदला पंजी' संरक्षित किया जाएगा।

रोशनी नडार मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला बनी

HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला बनीं। रोशनी नडार मल्होत्रा को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में तीसरा स्थान मिला। उनकी कुल संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपये है। यह पहली बार है कि किसी महिला ने टॉप-3 में जगह बनाई है। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं।

सैटेलाइट तैयार कर रहीं छात्राएं, चांद पर भेजेंगी

मध्य प्रदेश की ग्रामीण छात्राओं ने चांद तक पहुंचने का सपना साकार करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ये छात्राएं चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के मिशन शक्तिसैट का हिस्सा हैं। दिसंबर में लो-अर्थ ऑर्बिट और अगले साल चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजा जाएगा। 108 देशों की 12,000 छात्राओं में से कई पहली बार पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन अब वे सैटेलाइट, कोडिंग और अंतरिक्ष विज्ञान में माहिर हो रही हैं।

पासबुक लाइटः अब पीएफ बैलेंस देखना हुआ आसान

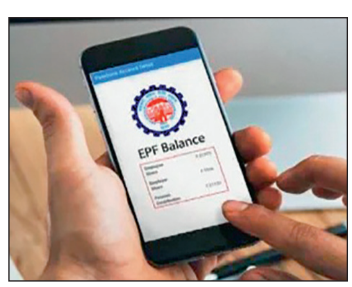

ईपीएफओ ने 'पासबुक लाइट' सेवा लॉन्च की है। इसके ज़रिए सदस्य आधिकारिक वेबसाइट पर अपने पीएफ खाते की जानकारी आसानी से देख सकेंगे। पहले पासबुक देखने के लिए अलग पोर्टल पर लॉग-इन करना पड़ता था। इससे लॉग-इन से जुड़ी समस्याएँ होती थीं। अब यह प्रक्रिया सरल हो गई है। फिलहाल पुराना पोर्टल भी चालू रहेगा।

पाक सीमा पर एआई से लैस बीएसएफ कमांड सेंटर

बीएसएफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर नया कमांड और कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है। यह एआई और मशीन लर्निंग की मदद से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) पर काम करेगा। इससे कमांडर्स को बेहतर ऑपरेशन पिक्चर मिलेगी। पुराने डेटा की मदद से यह तस्करी के हॉटस्पॉट और घुसपैठ के रास्तों की भविष्यवाणी भी कर सकेगा।

अब भारत में बनेगा पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट

चेन्नई का स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले (रियूजेबल) रॉकेट बनाएगा। इस रॉकेट का कोई भी हिस्सा स्थायी रूप से खत्म नहीं होगा। इससे कंपनी सैटेलाइट लॉन्च सर्विस कम दर पर उपलब्ध करा सकेगी।

शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने

शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे मौजूदा डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव की जगह लेंगे। मुर्मू का कार्यकाल 3 साल का होगा।

रेलवे के 4 प्रोजेक्ट मंजूर, छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के कनेक्टिविटी सुधरेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर किए। ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में होंगे। करीब 85.84 लाख की आबादी वाले 3,633 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। विदिशा व राजनांदगांव जैसे आकांक्षी जिलों को लाभ होगा। प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 24,634 करोड़ रुपए होगी। इनसे यात्री, सामान और सेवाओं की आवाजाही में लगने वाला समय कम होगा। प्रोजेक्ट पीएम-गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हैं।

सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ा 3 महीने का मिलेगा एरियर

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दशहरा का गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट के नोटिफिरेशन के अनुसार, यह मौजूदा दर को 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत मूल वेतन या पेंशन तक बढ़ाता है। महंगाई के प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से की गई इस बढ़ोतरी से लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनरों को लाभ होगा।

अंतरराष्ट्रीय

मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार, तीन वैज्ञानिकों को सम्मान

नोबेल कमिटी ने मेडिसिन क्षेत्र का पहला पुरस्कार अमेरिका और जापान के तीन चिकित्सकों को प्रदान किया। अमेरिका की मैरी ई. ब्रूंको (ब्रूंको इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजी) और फ्रेड रैम्सडेल (सोनोमा बायोथेरेपैटिक्स), तथा जापान के शिमोन साकागुची (ओसाका यूनिवर्सिटी) को यह सम्मान "परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों" के लिए दिया गया। उनकी रिसर्च ने प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित रखने के तरीके उजागर किए और नए उपचार के क्षेत्र, जैसे कैंसर और स्व-प्रतिरक्षित रोगों, में महत्वपूर्ण दिशा दी।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर

भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब वह 38वें स्थान पर पहुँच गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की इस रिपोर्ट में भारत ने 2020 की तुलना में 10 स्थानों की छलांग लगाई है। भारत दक्षिण-मध्य एशिया और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने ज्ञान व तकनीकी उत्पादन और मानव पूंजी-शोध में मजबूत प्रदर्शन किया है, हालांकि व्यापार परिपक्वता और अवसंरचना में सुधार की गुंजाइश है। शीर्ष 10 में स्विट्ज़रलैंड पहले और चीन 10वें स्थान पर है।

बाल्टिक सागर में नाजी बम पर पनप रहा समुद्री जीवन

बर्लिन, जर्मनी के तट के पास बाल्टिक सागर की ल्यूबेक खाड़ी में समुद्री वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। यहां समुद्र तल पर द्वितीय विश्व युद्ध काल के नाजी बम पड़े हैं, जिन पर समुद्री जीवन फल-फूल रहा है। अध्ययन के अनुसार, बमों की सतह पर करीब 40 हजार समुद्री जीव प्रति वर्ग मीटर पाए गए। इनमें समुद्री कीड़े, मछलियां, केकड़े, हाइड्रॉइड्स और कई स्टारफिश शामिल थीं। हैरानी की बात यह थी कि 40 से अधिक स्टारफिश टीएनटी के टुकड़े पर जमा हुई थीं।

कोल्ड डेजर्ट रिजर्व को यूनेस्को ने दी मान्यता

भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल कर लिया है। यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित है और 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह दुनिया के सबसे ठंडे और सूखे इकोसिस्टम में से एक है। भारत के अब कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वैश्विक सूची में शामिल हो गए हैं।

इंग्लैंड: पहली बार महिला बनीं चर्च की आर्चबिशप, रचा इतिहास

इंग्लैंड के चर्च ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी महिला को कैंटरबरी की आर्चबिशप के रूप में नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी लंदन की बिशप सारा मुलैली को मिली है, जिसकी घोषणा लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने इस ऐतिहासिक नियुक्ति पर बधाई दी।

वॉट्सएप पर अब यूज़रनेम से पहचान, नंबर की ज़रूरत नहीं

वॉट्सएप अब यूज़रनेम सिस्टम लाने की तैयारी में है। इससे बातचीत शुरू करने के लिए अब मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से यूजर्स की पहचान नंबर से हटकर यूज़रनेम पर केंद्रित हो जाएगी। इससे निजी जानकारी छिपी रहेगी और सुरक्षा बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, बीटा वर्ज़न में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है।

फैट बियर वीक 2025 में 96 हजार वोटों से विनर बना 'चंक'

अमेरिका के अलास्का स्थित कटमई नेशनल पार्क में आयोजित फैट बियर वीक प्रतियोगिता में इस बार भालू नंबर 32 'चंक' विजेता बना। इस ऑनलाइन वोटिंग प्रतियोगिता में दुनियाभर के लोग भारी-भरकम भूरे भालू को वोट देकर विजेता चुनते हैं। 'चंक' ने फाइनल मुकाबले में भालू नंबर 856 को हराया। 'चंक' को कुल 96,350 वोट मिले।

भारतीय मूल की ग्रेस को मरणोपरांत जॉर्ज मेडल

ब्रिटिश भारतीय मेडिकल छात्रा ग्रेस ओ'मैली-कुमार को मरणोपरांत जॉर्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। यह ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक बहादुरी सम्मान है। 19 साल की ग्रेस ने जून 2023 में नॉटिंघम में अपने दोस्त को चाकू से हमले में बचाने की कोशिश करते हुए जान गंवा दी थी।

डेढ़ लाख वर्ष पूर्व हरा-भरा था गोबी मरुस्थल, औजारों से मिले सबूत

मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में एक सूखी झील की खुदाई में वैज्ञानिकों को 2,700 से ज्यादा पत्थर के औजार मिले हैं। ये औजार इस बात का सबूत हैं कि इंसान करीब डेढ़ लाख साल पहले से लेकर 8 हजार साल पहले तक इस इलाके में रहते थे। उस समय गोबी रेगिस्तान हराभरा था और वहां झीलें और दलदली इलाके थे। यह शोध अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान टीम ने किया है और इसे साइंटिफिक जर्नल PLOS ONE में प्रकाशित किया गया है।

नॉर्वे उड़ाएगा इलेक्ट्रिक प्लेन 30% कम खर्च में होगी उड़ान

नॉर्वे ने पहली बार दो बड़े शहरों स्टावेंगर और बर्गन के बीच इलेक्ट्रिक विमान की टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की। नॉर्वे ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इलेक्ट्रिक फ्लाइट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस देश में 2024 में बिकने वाली 90% नई कारें इलेक्ट्रिक हैं। टेस्ट फ्लाइट में इस्तेमाल हुआ 'आलिया सीएक्स 300' विमान अमेरिका की कंपनी 'बीटा टेक्नोलॉजीज' ने बनाया है। यह 50 फीट विंगस्पैन वाला विमान है, जो 283 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया-जापान ने शुरू किया 'फ्रीडम एज' सैन्य अभ्यास

अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने 15 सितम्बर 2025 को जेजू द्वीप के पास संयुक्त हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। 19 सितम्बर तक चलने वाला यह बहु-क्षेत्रीय अभ्यास मिसाइल रक्षा, वायु-समुद्री अभियान, साइबर समन्वय और मेडिकल इवैक्यूएशन पर केंद्रित है।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

खेल / कला

स्कूल स्टेट: सॉफ्ट टेनिस के बाद बास्केटबॉल टीम ने जीते 2 गोल्ड

रायपुर जोन की अंडर-14 बास्केटबॉल टीम ने स्टेट लेवल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से रायपुर की मेजबानी में कराए जा रहे टूर्नामेंट में पाँच जोन के 1,140 खिलाड़ी 7 अलग-अलग खेलों में भाग ले रहे हैं। बास्केटबॉल के फाइनल में रायपुर की बालिका टीम ने बिलासपुर को 30-0 से करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं, बालक टीम ने बिलासपुर को 21-4 से मात देकर गोल्ड अपने नाम किया।

तीरंदाज तोमन ने दक्षिण कोरिया में जीता गोल्ड-ब्रॉन्ज

छत्तीसगढ़ के तीरंदाज तोमन कुमार ने दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। वहीं, तोमन ने मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

अनुष्का ठोकुर ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता

भारत की अनुष्का ठोकुर ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री-पोजिशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। नई दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह रेंज में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में जीत के बाद ठोकुर का इस प्रतियोगिता में यह दूसरा स्वर्ण पदक था। पुरुषों की 50 मीटर थ्री-पोजिशन स्पर्धा में एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता। भारत चार स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है।

4 साल की त्रिशा थोसर ने तोड़ा कमल हासन का 64 साल पुराना रिकॉर्ड

सिर्फ 4 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतकर त्रिशा थोसर देशभर में चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने कमल हासन का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब सबसे कम उम्र की नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेत्री बन गई हैं। दिल्ली में आयोजित 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में त्रिशा ने साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार ग्रहण किया।

मिथुन मन्हास BCCI के अध्यक्ष, प्रभतेज भाटिया संयुक्त सचिव बने

दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का 37वां अध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला बोर्ड की 94वीं वार्षिक आम बैठक में लिया गया। देवजीत सैकिया सचिव बने रहेंगे। पूर्व स्पिनर रघुराम भट नए कोषाध्यक्ष होंगे। वहीं, प्रभतेज सिंह भाटिया संयुक्त सचिव चुने गए हैं।

पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन

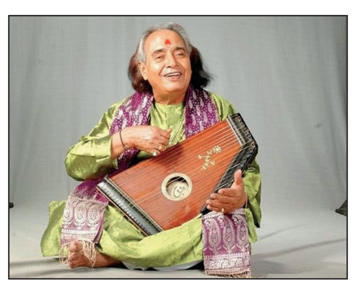

2 अक्टूबर कि सुबह पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। वे पद्म विभूषण से नवाजे गए प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी क्लासिकल गायक थे। वे 89 साल के थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। पंडित मिश्र अपने गायन की खास स्टाइल के लिए मशहूर थे, खासकर शास्त्रीय ख्याल और पूरब अंग ठुमरी, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक उप-शैली हैं। वे इसीलिए जाने जाते थे। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे।

वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मीराबाई ने 48 किलो वर्ग में सिल्वर जीता

स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 48 किलो वर्ग में कुल 199 किलो वजन (84 किलो स्नैच + 115 किलो क्लीन एंड जर्क) उठाया। इस स्पर्धा में यह उनका तीसरा मेडल है। 2017 में गोल्ड और 2022 में सिल्वर जीता था। मीराबाई के लिए यह मेडल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी में अहम साबित होगा।

भारत के पैरा-एथलीट्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते 22 पदक

भारत के पैरा-एथलीट्स ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक जीतकर नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है।

चाइना ओपन: लगातार दूसरे साल अमेरिकी खिलाड़ी बनी चैम्पियन

अमेरिका की 24 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा ने चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में अनिसिमोवा ने चेक गणराज्य की लिंडा नोसकोवा को 6-0, 2-6, 6-2 से हराया। 20 वर्षीय नोसकोवा अपना पहला बड़ा फाइनल खेल रही थीं। इसके साथ ही लगातार दूसरे साल किसी अमेरिकी खिलाड़ी ने चाइना ओपन का खिताब जीता है। पिछले साल कोको गॉफ इस टूर्नामेंट की चैम्पियन बनी थीं। यह अनिसिमोवा के करियर का चौथा खिताब है।

वनडे में सबसे बड़े सफल रन चेज से भारत-ए ने जीती सीरीज

भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ तीन अनऑफिशियल वनडे सीरीज के आखिरी मैच में दो विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 316 रन बनाए, जिसमें जैक एडवड्र्स (89), लियाम स्कॉट (73) और कूपर कोनोली (64) की पारियां प्रमुख रहीं। हालांकि, शुरुआत में 44 रन पर चार विकेट गिर गए। भारत-ए ने प्रभसिमरन सिंह के शतक (102 रन, 68 गेंद), श्रेयस अय्यर (62) और रियान पराग (62) की पारियों की मदद से 322/8 रन बनाकर चार ओवर पहले लक्ष्य हासिल किया। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट लिए। यह भारत-ए की लिस्ट-ए में अब तक की सबसे बड़ी रन चेज रही।

क्रिस वोक्स ने 15 साल लंबे करियर के बाद लिया संन्यास

इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने 15 साल के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 36 वर्षीय वोक्स को एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में नहीं चुना गया था। इसके बाद इंग्लैंड टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने पुष्टि की कि वोक्स उनकी भविष्य की योजनाओं में नहीं हैं। इसके बाद वोक्स ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 04/2025/परीक्षा/दिनांक 07/10/2025 रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 15/10/2025

::विज्ञापन::

अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) (महिला एवं बाल विकास विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/10/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

संभावित परीक्षा की तिथि 18/01/2026

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/10/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 09/11/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, नि:शक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **महिला एवं बाल विकास विभाग** के अंतर्गत **अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)**	**23**	**6**	**18**	**8**	**6**	**1**	**5**	**2**	**-**	**55**	(स्तर-9)

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्च्तम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. **दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु अधीक्षक (बाल देखरेख संस्थाएं) के पद को शामिल नहीं किया गया है।**
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो', ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
5. **रिक्तियों में आरक्षण:-**

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था)

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक

(iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-09 (9300-34800+ग्रेड पे 4300)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**

(क) समाज कार्य (एम.एस.डब्ल्यू.)/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर/विधि में स्नातक उपाधि

(3) परिवीक्षा अवधि:- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

क्रमशः

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(d) **आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी।**

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र:-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) **(i)** छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xi) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

क्रमशः

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन:-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक

क्रमशः

अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया:-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट- दो में प्रकाशित है।

(iii) **परीक्षा हेतु संभागीय मुख्यालय सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर परीक्षा केन्द्र होंगे।**

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं नि:शक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, नि:शक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, नि:शक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन **परीक्षा/साक्षात्कार** में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोट:- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

क्रमशः

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(19) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमशः

परिशिष्ट-एक

''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	-	300 अंक
साक्षात्कार	-	30 अंक
कुल	-	330 अंक

(2) परीक्षाः-

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः-

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150	3:00 घंटे	अंक 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान	-	50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान	-	100 प्रश्न (200 अंक)
कुल	-	150 प्रश्न (300 अंक)

(ii) प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

टीप :- **अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।**

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: -

$$MO = M \times R - {}^{1}/_{3}\, M \times W$$

जहां **MO** = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट-दो** में दी गई है।

(6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

(7) **साक्षात्कार:-** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(9) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुना होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(10) **चयन सूची:-** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

क्रमशः

परिशिष्ट-दो

"पाठ्यक्रम"

भाग.1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान	Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh
1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। 2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र। 3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य , कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां। 4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। 5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। 6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। 7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। 8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।	1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement. 2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh. 3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh. 4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh. 5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh. 6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh. 7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh. 8. Current Affairs of Chhattisgarh.
भाग.2 बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान	**Part-2 General Knowledge Related to Children**
1. बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून :- **1.1** भारत का संविधान **1.2** किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 **1.3** किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 **1.4** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 **1.5** मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 **1.6** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 **1.7** छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 **1.8** नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 **1.9** बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 **1.10** बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 **1.11** मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम **1.12** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **1.13** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम **1.14** स्वपाक औषधियां और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम **1.15** छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 **1.16** दत्तक ग्रहण विनियम 2022 **2. बाल कल्याण एवं विकास :-** **2.1** मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 **2.2** कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर **2.3** कुपोषण का प्रबंधन - कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखभाल **2.4** शरीर के विकास के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता- संतुलित आहार **2.5** बच्चों की सामान्य बीमारियां एवं उपचार **2.6** दिव्यांग बालकों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम **2.7** बालकों की शिक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम **3. बाल संरक्षण एवं देखभाल :-** **3.1** मिशन वात्सल्य योजना **3.2** पीएम केयर्स योजना **3.3** मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	**1. Constitutional Provisions and Laws Related to Children:-** **1.1** Constitution of India **1.2** Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 as amended 2021 **1.3** Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 as amended 2022 **1.4** Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and Rules 2020 **1.5** Mental Healthcare Act, 2017 **1.6** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 **1.7** Chhattisgarh Rights of Persons with Disabilities Rules 2023 **1.8** Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 **1.9** Prohibition of Child Marriage Act, 2006 **1.10** Commissions for protection of Child Rights Act, 2005 **1.11** Protection of Human Rights Act **1.12** Right to Information Act, 2005 **1.13** Legal Services Authorities Act **1.14** Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act **1.15** Chhattisgarh Commission for Protection of Child Rights Rules, 2009 **1.16** Adoption Regulations 2022 **2. Child Welfare and Development:-** **2.1** Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 **2.2** Malnutrition, Anaemia, Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate. **2.3** Management of Malnutrition - Identification of Malnutrition, Care of Malnourished Children **2.4** Need for Nutritional Elements for Body Development - Balanced Diet **2.5** Common Diseases and Treatment of Children **2.6** Schemes and Programs Run by Central and State Government for Disabled Children **2.7** Schemes and Programs Run by Central and State Government for Education of Children **3. Child Protection and Care:-** **3.1** Mission Vatsalya Scheme **3.2** PM Cares Scheme **3.3** Mukhyamantri Bal Uday yojana

क्रमश:

3.4 छ.ग. बाल कोष **3.5** बाल सक्षम नीति **3.6** बाल संरक्षण नीति **3.7** चाईल्ड हेल्पलाईन **3.8** स्कीम फॉर केयर एवं सपोर्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 4 एवं 6 आफ पॉक्सो एक्ट **3.9** बाल अधिकार **3.10** बाल अधिकार संरक्षण आयोग **3.11** बाल संरक्षण/देखभाल /विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिये जाने वाले विभिन्न पुरूस्कार **3.12** बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे - हिंसा, शोषण, बाल विवाह, ट्रैफिकिंग, बाल श्रम **3.13** बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान **3.14** संस्थागत देखरेख **3.15** दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, स्पान्सरशीप एवं आफ्टर केयर कार्यक्रम **3.16** परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यकम **3.17** बाल संरक्षण संबंधी चुनौतिया **3.18** डायवर्जन एवं रिस्टोरेटीव न्याय के सिद्धांत **3.19** बाल व मानव व्यापार की प्रभावी रोकथाम **4. बाल मनोविज्ञान :-** **4.1** विकास के चरण **4.2** बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं सिद्धांत **4.3** काउंसलिंग **4.4** आकलन एवं हस्तक्षेप **4.5** अनुसंधान विधियां **4.6** एप्लीकेशन - वयस्क - बालक रिलेशनशिप, शिक्षा एवं सीखना, बाल कल्याण एवं संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित हस्तक्षेप **4.7** थेरेपी- काग्निटीव बिहेविरियल थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी **5. बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं :-** **5.1** चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) **5.2** महिला हेल्पलाईन (181) **5.3** पुलिस हेल्पलाईन ERSS-112 **5.4** अन्य आपातकालीन सेवाएं	**3.4** CG Bal Kosh **3.5** Bal Saksham Policy **3.6** Child Protection Policy **3.7** Child Helpline **3.8** Scheme for Care and Support to Victim under Section 4 and 6 of POCSO Act **3.9** Child Rights **3.10** Commission for Protection of Child Rights **3.11** Various awards given for doing remarkable work in the field of child protection/care/development **3.12** Important issues related to child protection- violence, exploitation, child marriage, trafficking, child labour **3.13** Child Marriage Free Chhattisgarh Campaign **3.14** Institutional care **3.15** Adoption, foster care, sponsorship and after care programmes **3.16** Family and community based programmes **3.17** Challenges related to child protection **3.18** Principles of diversion and restorative justice **3.19** Effective prevention of child and human trafficking **4. Child Psychology:-** **4.1** Stages of development **4.2** Various concepts and theories related to child psychology **4.3** Counselling **4.4** Assessment and intervention **4.5** Research methods **4.6** Applications- adult-child relationship, education and learning, child welfare and protection, mental health and related interventions **4.7** Therapy- cognitive behavioural therapy, play therapy, group therapy, family Therapy **5. Emergency services in the best interest of children:-** **5.1** Child Helpline (1098) **5.2** Women Helpline (181) **5.3** Police Helpline ERSS-112 **5.4** Other Emergency Services

क्रमशः

परिशिष्ट-तीन

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) **ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।**

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क:-**

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मूल पहचान पत्र जैसे – मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

~~~~~~~~~~

आर.ओ.159/जी-252604000/5
~~~~~~~~~~

राज्य बाल संरक्षण समिति,

छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwed@nic.in

// दावा आपत्ति निराकरण सूचना //

।। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन के रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27.11.2024 पर प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण की सूचना।।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन के रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 27.11.2024 को विज्ञापन क्र. 10487 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत दिनांक 25.08.2025 राज्य स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन के 20 पदों के लिए पात्र/अपात्र आवेदको की सूची जारी करते हुए अंतिम दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। दावा आपत्ति में विभाग को कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए प्राप्त हुए। जिसमें हेल्पलाईन एडमिनिस्ट्रेटर पद हेतु कुल 3 आवेदन, कॉल आपरेटर पद हेतु कुल 06 आवेदन तथा मल्टी पर्पज स्टाफ पद हेतु कुल 3 आवेदन प्राप्त हुए। आईटी सुपरवाईजर तथा सुरक्षा गार्ड / रात्रिकालिन गार्ड पद हेतु दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुए। प्राप्त दावा आपत्ति का विवरण एवं निराकरण संबंधी सूची तथा राज्य स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन के विज्ञापित 20 पदो के वर्गवार टॉप 5 प्रावीण्य सूची छत्तीसगढ शासन www.cgstate.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाइट www.cgwcd.gov.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

टीपः- कौशल परीक्षा व साक्षात्कार की तिथि, पृथक से अवगत कराया जावेगा

(पदुम सिंह एल्मा)
संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आर.ओ.160/जी-252603827/3

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR

ADVERTISEMENT

Online applications are invited for recruitment to the post of "Translator" in High Court of Chhattisgarh, Bilaspur through CGVYAPAM:-

<table>
<tr><th>SI.No</th><th>Category</th><th>No. of Posts</th><th colspan="2">Posts Reserved for Divyang</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UR</td><td>33 Posts (Including 9-Women)</td><td colspan="2">06 Posts</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SC</td><td>13 Posts (Including 3-Women)</td><td>Posts identified by the committee constituted for the purpose</td><td rowspan="3">Blind & Low Vison Deafness, hearing impaired Locomotor disability include cerebral palsy disease-free leprosy, dwarfism, acide attack victim and muscular dystrophy Selfishness, intellectural disability, specific learning disability, autism and mental iliness.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ST</td><td>15 Posts (Including 4-Women)</td><td rowspan="2">OA OL CAL BL, HH, LV, OH, Acid attack victim, Muscular Dystrophy, Dwarfism, Leprosy Cured, Autism</td></tr>
<tr><td>4</td><td>OBC</td><td>11 Posts (Including 3-Women)</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>72 POST</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Date of Examination 14.12.2025.

For further details, interested candidates may visit the website of https://vyapamcg.cgstate.gov.in/

Sd/-
(Mansoor Ahmed)
I/c Registrar General

कार्यालय संचालक

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

(इन्द्रावती भवन, विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लाक नं.1 द्वितीय तल
नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर छ.ग.)
E-Mail-govtprintingstationerydept@gmail.com

नवा रायपुर अटल नगर-492002
दूरभाषः कार्यालय 2331302

विज्ञप्ति क्रमांक 555 /स्था./सीधी भर्ती/2025 दिनांक 29/09/2025

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-08/2021/सात-4 नवा रायपुर दिनांक 28 मार्च 2024 में दिये गये निर्देशानुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की सहमति दिये जाने के उपरांत आनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा से वेबसाईट रायपुर मण्डल के माध्यम vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है। पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	पद का नाम	कुल पदो का योग	वेतन मैट्रिक्स मे लेवल
1	डी. टी. पी. ऑपरेटर	5	लेवल 7
2	ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर	1	लेवल 6

टीपः-

1. विज्ञापित किये गये पदों की रिक्तियों की सख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
2. उपरोक्त पदो के संबंध में विस्तृत विज्ञापन, परीक्षा का पाठ्यक्रम, एवं परीक्षा कार्यक्रम आनलाईन आवेदन की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

(संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री
छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर

आर.ओ.161/जी-252603877/5

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर- 19, नवा रायपुर, अटल नगर (प्रशासन/अराजपत्रित)
फोनः 0771-2512817 ईमेलः apccfng@gmail.com

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु मैनुअल एवं कृत्रिम प्रकाश में कराये गये अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षण की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 16.11.2024 से 20.12.2024 तक आयोजित की गई थी, जिसमें मैनुअल एवं कृत्रिम प्रकाश में कराये गये अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षण, डिजीटल टेक्नोलॉजी सिस्टम के माध्यम से कराया जाना है। उक्त भर्ती प्रक्रिया दिनांक 28.10.2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, दिनांक 06.10.2025 से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट www.forest.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तकनीकी कारणों से विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदित वनमण्डल कार्यालय अथवा भर्ती के लिये चयनित नोडल वनमण्डल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही Technical Support हेतु WhatsApp No.7489986772 में अपनी समस्या WhatsApp Message भी कर सकते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

आर.ओ.162/जी-252603889/5

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एफ 2-1/2024/34-1 दिनांक 26.09.2024 से वित्त विभाग का जावक क्रमांक 1210/सी.एन. बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी केमिस्ट के 12 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों में सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते है, परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	विहित शैक्षणिक योग्यता
केमिस्ट	12	लेवल-7, वेतन 28700-91300	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिये।

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के महिलाओं के लिये आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्गवार आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ.ग. के दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित	योग
अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.		
04	01	05 (02 बैंकलाग सहित)	02	01	0	01	0	0	0	0	0	01-OA, OL, OAL, HH	12

सामान्य शर्तेः-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 18.01.2024 अनुसार दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिये शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी। इसके लिये उन्हें चयन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर चयन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. महिलाओं के आरक्षण की गणना छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णांको को लिया गया है एवं महिलाओं का आरक्षण क्षैतिज एवं कम्पार्टमेंटवाईज होगा।
7. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण के लिये दिव्यांगता (ओएल "एक पैर, ओए "एक भुजा, ओएएल = एक भुजा एक पैर, एचएच = ऊचा सुनने वाला) है। जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2023/आ.प्र. /1-3, दिनांक 29.05.2023 अनुसार नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड का परीक्षण/सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
8. लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।
9. उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।
10. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
11. संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में शासन के निर्देशानुसार अवधि बढ़ाई / घटाई जा सकती है।
12. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।
13. सीधी भर्ती के उल्लेखित पदों की संख्या घटाई / बढाई जा सकती है।
14. नियुक्ति का समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय सर्वमान्य तथा बंधनकारी होगा।
16. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
17. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 33/2023. क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020, दिनांक 12.09.2023 में निहित प्रावधानुसार संबंधित का वेतन नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा, परिवीक्षा अवधि में वेतन के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे।
18. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा।
19. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
20. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. विभाग द्वारा चयनित उम्मीद्वारों का पुलिस व्हेरीफिकेशन शासकीय सेवा योग्य पाये जाने पर ही परीविक्षा अवधि समाप्त की जावेगी। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
22. सीधी भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
23. उक्त भर्ती में शासन द्वारा समय-समय में जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
24. महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।
25. उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 03/2025/परीक्षा/दिनांक 25/09/2025

::विज्ञापन::

कोर्ट मैनेजर परीक्षा – 2025

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29/09/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28/10/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

संभावित प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 04/01/2026

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29/09/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28/10/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 29/10/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 31/10/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 01/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 03/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी एवं नि:शक्तजन संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार संबंधी अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से **माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़** के अंतर्गत **कोर्ट मैनेजर** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**कोर्ट मैनेजर**	**13**	**3**	**6**	**-**	**3**	**-**	**1**	**-**	**2 (OA) (Locomotor disability include cerebral palsy, disease-free leprosy, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy)**	**22**	56100 (स्तर-12)
Abbreviation Used : OA-One Arm												

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। माननीय उच्च न्यायालय से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमश:

महत्वपूर्ण टीपः-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
2. यह विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है ।
3. उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु Locomotor disability include cerebral palsy, disease-free leprosy, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy श्रेणी के OA दिव्यांग अभ्यर्थी हीं मान्य होंगे ।
4. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम Appendix-'A', 'B' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी Appendix-'C' में उल्लेखित है ।
5. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नामः- कोर्ट मैनेजर

(ii) सेवा श्रेणीः- राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)

(iii) वेतनमानः- 56100 (स्तर-12)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(3) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव :-

(i) भारत में यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर या सामान्य प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री।

(ii) सिस्टम और प्रक्रिया प्रबंधन में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण या आई.टी. सिस्टम प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण।

(iii) हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषाओं में उत्कृष्ठ संचार कौशल।

(iv) उत्कृष्ठ सामाजिक कौशल ।

(v) उत्कृष्ठ कम्प्यूटर अनुप्रयोग कौशल और

(vi) कानून के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टीप :- साक्षात्कार के समय दो अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में आयु में वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी तथा यदि आयु भी समान हो तो विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) परिवीक्षा अवधिः- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) निर्धारित आयु सीमाः- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हेतु 40 वर्ष) से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी (सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी):-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।

(6) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्हमान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी ।

(7) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी ।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे ।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को "अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(v) निःशक्तजन अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें ।

(vi) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा ।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है । जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए ।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(क) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) विज्ञापन की कंडिका - 5(i) एवं 5(iii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(8) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(9) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

क्रमशः

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/ वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(10) अनर्हताः-

(A) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, किसी उच्च न्यायालय, शासकीय अथवा वैधानिक निकाय एवं स्थानीय निकाय द्वारा सेवा या पद से बर्खास्त या हटाया गया हो, पात्र नहीं होगा ।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी जिसे नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया है, या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोगों या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से वंचित या अयोग्य ठहराया गया हो, पात्र नहीं होगा ।

(11) पहचान चिन्हः-

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन इत्यादि का प्रयोग न करें । ऐसा करने पर आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के उक्त परीक्षा के कुल प्राप्तांक में से 05 अंक की कटौती की जाएगी अथवा उक्त उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

(i) उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा ।

(ii) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम Appendix-'A' एवं 'B' में दिया गया है ।

(13) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलबध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्टि किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(14) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास एवं निःशक्तता संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(15) परीक्षा के संबंध मेंः- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित जगह पर उत्तर अपेक्षित है। उत्तर के स्थान परिवर्तन होने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(ii) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(16) यह विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय के भर्ती नियम/मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवाएं (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 2017 के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी, जो नियम उक्त भर्ती नियम में उल्लेखित नहीं है वह आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

(17) यात्रा व्यय का भुगतानः-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा । गृह जिले को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी । यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।

(18) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

क्रमशः

(19) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें । आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा ।

(20) दावा आपत्ति निराकरण के बाद नियमानुसार संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किए जाएंगे ।

(21) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(22) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा ।

सही /-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

Appendix - 'A'

COURT MANAGER EXAM 2025

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under Appendix 'B'. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Preliminary Examination:-

(1) The question paper for Preliminary Examination shall be of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer.

(2) Candidates shall have to choose the correct option.

(3) The language of question paper of Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.

(4) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:15 having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 15 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.

(5) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Examination and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for Viva-voce.

Note :-

(a) There shall be a screening test in the Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. The mark sheet for Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.

(b) Considering the number of candidates the commission may conduct computer based test (CBT) instead of the traditional examination.

(c) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

(6) Examination Centre:-

For Preliminary Exam	For Main Exam
1. Bilaspur	1. Bilaspur
2. Durg-Bhilai	2. Raipur
3. Raipur	

Note:- It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and admin istrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

Appendix - 'B'

SYLLABUS

(A) Preliminary Examination No. of Question-100 Time 2:00 Hour, Marks-100

The Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of 100 objective type questions from the following:-

(1) Management (2) English (3) Hindi (4) General Mathematics (5) Computer (6) Reasoning (7) General Knowledge (8) General Knowledge relating to Chhattisgarh.

(B) Main Examination (Written) Time 3:00 Hour, Marks-100

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:15 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written) to be conducted which shall consist of:

1. **Indian Legal System and General Awareness** (Salient Features of Indian Constitution, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Executive and Legislative of the Union and in the States, the Union Judiciary and the High Courts in the States; Judicial System in India, the role of lawyers, prosecution, community and police in judicial administration; Legal Aid System in India. Indian Economic System, Indian Political System, Current Affairs.)

2. **Principles of Management** (Concepts of General Management/Finance Management; Basic Managerial functions - Planning Process, Types of Plan, Organizing - Organization Structure, Types of Organization, Span of Control, Staffing, Directing-Motivation, leadership, Communication, Authority Relationship, Conflict Management, Controlling - Process and Techniques; Fundamental Areas of Management; Social and Ethical Issues in Management. Accounting- Accounting Process, Accounting Information System, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Accounting Concepts and Policies, Accounting Standards in India. Financial Management - Importance and Organization, Functions of Financial Manager, Essentials of a good Financial Plan, Financial Plan for new project and for growth and expansion of an established organization, Management of Fixed Capital, Working Capital and Earnings.)

3. **Human Resource Management and Office Management** (Concepts of Human Resource Management, Functions of Human Resource Management, Human Resource Planning, Job Analysis, Role Description, Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Appraisal and Potential Evaluation, Job Evaluation and Wage Determination, Employee Welfare, Dispute Resolution and Grievance Management, Employee Empowerment. Office Management - Concepts, Principles of Scientific Office Management, Qualities, Duties and Responsibilities of Office Manager, Basic Principles of Office Organization, Methods of Promoting Office Productivity. Principles of Materials Management, Materials Management Manual. Purchasing - Policies, Types, Organization and Methods. Stores Keeping - Importance, Functions, Organization, Methods and Inventory Control.)

4. **Management Information Systems and Computer Applications** (Management Information Systems-Definition and Basic concepts, Managerial decision making process, Problem Solving process. Applications of Information Technology. Features of Computer Based Information System (CBIS), Decision Support Systems (DSS), Data Based Management Systems (DBMS). System Analysis and Design. Artificial Intelligence. Data Presentation, Analysis and Interpretation. Report Writing and Analysis of Reports. Important features of MS

क्रमशः

Office Software - Word Processing with MS-Word, Spread Sheet working with Excel, Presentation with Power Point. Working with common Accounting and Statistical Packages.)

(C) Viva-Voce

Relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination in the ratio of 1:3 having regard to the number of vacancies, shall be called for viva-voce to be conducted. The Maximum marks for Viva voce would be 15.

Appendix - 'C'
''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैपचर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मूल पहचान पत्र जैसे –मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

****

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक बस्तर दशहरा

बस्तर प्राकृतिक सम्पदा, वनोपज एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है तथा अनोखी उत्सव प्रधान संस्कृति के लिए जाना जाता है । देश के तीन भागों में दशहरे की अलग पहचान है, मैसूर (कर्नाटक) एवं किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा अपने आप में अनूठा है। चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाकर स्थपति की उपाधि के साथ वापस लौटने के प्रतीक स्वरुप रथ उत्सव गोंचा व दशहरा का आयोजन किया गया। वर्तमान में बस्तर के निवासियों द्वारा बस्तर अंचल की प्रमुख आराध्य देवी माँ दन्तेश्वरी के सम्मान में श्रद्धा पूर्वक दशहरे के रूप में मनाया जाता है। वस्तर दशहरा यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस पर्व में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित है।

पाट जात्रा पूजा विधान

24.07.2025, गुरुवार
(दन्तेश्वरी मंदिर के सामने)

- विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या में प्रारंभ होता है सबसे पहले साल की लकड़ी बिलोरी ग्राम के ग्रामीणों द्वारा लाई जाती है। बेड़ा उमरगांव व झार-उमरगांव के नाईक द्वारा पूजा विधान किया जाता है। इस लकड़ी को ठुरलू खोटला के रुप पूजा जाता है।

डेरी गड़ाई पूजा विधान

05.09.2025, शुक्रवार
(सिरहासार भवन में)

- दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गड़ाई होती है। विरनपाल के ग्रामीणों द्वारा साल लकड़ी लाया जाता है। इस रस्म के बाद से ही बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। परम्परानुसार रथ निर्माण के लिए माई दंतेश्वरी से आज्ञा ली जाती है। यह रस्म सिरहासार में होती है।

रथ निर्माण

तीसरी परंपरा रथ निर्माण की है इसी रथ में दंतेश्वरी मां के छत्र की नगर परिक्रमा करवाई जाती है। करीब 30 फीट ऊंचे रथ को परिक्रमा कराने के लिए 400 से ज्यादा आदिवासी ग्रामीणों की जरूरत पड़ती है। रथ निर्माण बेड़ाउमर और झाड़उमर गांव के लोग करते हैं।

काछनगादी पूजा विधान

21.09.2025, रविवार
(भंगाराम चौक, पथरागुड़ा)

- मान्यता अनुसार काछनदेवी पनका जाति की कुंवारी कन्या पर अवतरित होती है जहां युद्ध करने के बाद बेल के कांटे के झूलने आरुड़ होती है। देवी से पर्व को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु पुजारी आशीर्वाद स्वरुप एक पूज्य प्राप्त करते हैं काछन देवी दशहरा पर्व प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करती है।

जोगी बिठाई पूजा विधान

23.09.2025, मंगलवार
(सिरहासार भवन में)

- इस रस्म में हल्बा जनजाति का एक युवक 9 दिनों तक उपवास रख सिरहासार भवन स्थित एक निश्चित स्थान पर तपस्या के लिए बैठता है। इसका मुख्य उद्देश्य दशहरा पर्व को शांति और निर्बाध रूप से संपन्न कराना होता है। जोगी बिठाई रस्म में जोगी से तात्पर्य योगी से है।

बेल पूजा

29.09.2025, सोमवार (ग्राम सरगीपाल में)

- इस रस्म में बस्तर राज परिवार के सदस्य शहर से लगे सरगीपाल में एक बेल पेड़ की पूजा करते हैं। राज परिवार के सदस्य गाजे-बाजे के साथ इस बेल वृक्ष की पूजा के लिए पहुंचते हैं। पूजा करने के बाद वे राजमहल लौट जाते हैं।

निशा जात्रा

30.09.2025, मंगलवार (अनुपमा चौक के पास)

- अद्भुत रस्म निशा जात्रा होती है। प्राचीन काल में इस रस्म को राजा महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे। इस रस्म कि अदायगी रात 12 बजे के बाद शहर के अनुपमा चौक स्थित गुड़ी मंदिर में पूरी की जाती है।

मावली परघाव पूजा विधान

01.10.2025, बुधवार
मेरो फुटरू बाड़ा के सामने)

- मावली परघाव खास रस्म है। इस रस्म को दो देवियों के मिलन की रस्म कहा जाती है। इस रस्म में शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र और डोली को दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। नवमी के मौके पर निभाई जाने वाली इस रस्म के लिए जन सैलाब उमड़ता है।

रथ परिक्रमा पूजा विधान

02.10.2025, गुरुवार,
संध्या: 05:00 बजे से

- बस्तर दशहरे मे छठवीं और अनूठी रस्म विश्व प्रसिद्द रथ परिक्रमा की है। ऊंचे रथ पर मांई दंतेश्वरी के छत्र को सवार कर शहर के सिरहासार चौक से गोलबाजार होते हुए वापस मंदिर तक परिक्रमा करवाई जाती है। सैकड़ों ग्रामीण मिलकर अपने हाथों से रथ खींचते हैं।

भीतर रैनी बाहर रैनी पूजा विधान

02.10.2025, गुरुवार,
(कुम्हड़ाकोट में)

- बाहर रैनी-भीतर रैनी रस्म में रथ परिक्रमा पूरी होने पर आधी रात को इसे चुराकर माडिया जाति के लोग शहर से लगे कुम्हड़ाकोट ले जाते हैं। इसी के साथ बस्तर में विजयादशमी के दिन रथ परिक्रमा समाप्त हो जाती है। यह रस्म भी बेहद खास है और इससे जुड़ी बातें भी।

मुरिया दरबार

04.10.2025, शनिवार
प्रातः 11:00 बजे से

- इस रस्म में ग्रामीण अंचलों से पहुंचने वाले माझी चालकियों और दशहरा समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनने के साथ उसका निराकरण करते थे। अब मुख्यमंत्री माझी चालकियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनने के साथ उनका निराकरण करते हैं।

कुटुम्ब जात्रा

05.10.2025, रविवार
प्रातः 11:00 बजे से

- बस्तर दशहरा का समापन डोली विदाई और कुटुम्ब जात्रा पूजा के साथ होती है। माई दंतेश्वरी की विदाई के साथ ही ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का समापन होता है। विदाई से पहले माई की डोली और छत्र को दंतेश्वरी मंदिर के सामने महाआरती की जाती है।

▪ अश्वनी शर्मा

रथ परिक्रमा

काछन गादी

निशा जात्रा

कुटुम्ब जात्रा

मावली विदाई

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो